कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, म0प्र0
फोन नं0–0755–4030825, फैक्स नं0–2770562
ईमेल–mpnursingcouncil@gmail.com

क्रमांक म.प्र.न.र.कौं/2017 E-555 भोपाल, दिनांक 18/9/2017

प्रति,

प्राचार्या,
समस्त ए.एन.एम./जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र
....
....

विषयः– **अगस्त/सितंबर 2018 की परीक्षा के लिये एम.पी. ऑनलाईन से नामांकन (Enrollement) फार्म दिनांक 3.10.2017 से 31.10.2017 तक भरने बाबत् ।**

उपरोक्त विषय में निर्देशित किया जाता है कि आगामी परीक्षा **अगस्त/सितंबर 2018** के लिये जी.एन.एम./ए.एन.एम. प्रथम वर्ष के प्रवेश आई.एन.सी. के नियमानुसार करके नामांकन **(Enrollement)** फार्म एम.पी. ऑनलाईन सेवा के माध्यम से **दिनांक 3.10.2017 से 31.10.2017 तक तथा दिनांक 1.11.2017 से 5.11.2017 तक लेट फीस के साथ** भरना है । दिनांक 15.11.2017 के नामांकन verify अनिवार्य रूप से करें। इसके पश्चात् नामांकन की सूची आई.एन.सी. भेजी जावेगी । नामांकन वेरिफाई होने के पश्चात् किसी भी स्थिती में परिवर्तित नहीं किया जावेगे ।

नयी संस्थाऐं आई.एन.सी. एवं स्टेट नर्सिंग कौंसिल की एन.ओ.सी. प्राप्त होने के पश्चात् User ID and Passward हेतु कौंसिल में समय–सीमा में आवेदन प्रस्तुत करें ।

नामांकन फार्म एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित कियोस्क के माध्यम से भरवाकर रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंवें ।

किसी प्रकार की समस्या आने पर एम.पी.ऑनलाईन के Customer care No. 0755-4019401 to 4019406 पर संपर्क कर सकते हैं ।

महत्वपूर्ण नोटः–

1. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष स्टेट नर्सिंग कौंसिल की एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवार्य है । अतः स्टेट नर्सिंग कौंसिल की वर्ष 2017–18 की एन.ओ.सी. अवश्य प्राप्त कर लेवें । अन्यथा आपकी संस्था के छात्र–छात्राओं को परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

2. मध्यप्रदेश में वर्ष 2013 से आई.एन.सी. के नियमानुसार 2 वर्षीय नये रिवाईज्ड सिलेबस के अनुसार ए.एन.एम. पाठ्यकम में 10+2 उत्तीर्ण छात्राओं को ही प्रवेश देवें ।

3.आई.एन.सी. की गाईडलाईन द्वारा सत्र 2015–16 से जी.एन.एम. पाठयकम 3 वर्ष का किया गया है ।

4. संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्र–छात्राओं के नामांकन फार्म में उनकी दसवी एवं बारहवी की अंकसूची प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर के अनुसार सही फोटो एवं जानकारी भरें एवं पूर्ण दस्तावेज़ अटेचमेंट करें । जानकारी त्रुटिपूर्ण होने पर कौंसिल उत्तरदायी नहीं होगी । गलत जानकारी भरने पर संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी । छात्र–छात्राओं की जानकारी असत्य पाये जाने पर संस्था के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

18/9/17

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल